(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3087-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.08.2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 18/बी-121/2015-16

----

1. मोहन अहिरवार
2. अशोक अहिरवार
   पुत्रगण स्व. बल्देव प्रसाद
3. मु0 हरबी बेवा स्व. बल्देव प्रसाद
   समस्त निवासीगण ग्राम कलोथरा
   तह0 निवाड़ी जिला टीकमगढ (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन
कलेक्टर टीकमगढ़ ....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक...07/03/2018.......को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 18/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण को ग्राम

कलौथरा पटवारी हल्का उदौरा तह0 निवाड़ी स्थित भूमि खसरा नं0 221/2/1क, 381 रकवा 1.032 हे. एवं 212/2/क/10 रकवा 1.000 हे. भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि उन्हें 10-12 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी, जिससे आवेदकगण उक्त भूमि के भू-स्वामी हो गए हैं, किंतु रिकॉर्ड में भूमि विक्रय से प्रतिबंधित लिखा होने के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ आवेदकगणों को नहीं मिल पा रहा है। जिस पर आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय से प्रतिबंधित रिकॉर्ड में से हटाने हेतु एक आवेदन कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 22.08.2016 द्वारा आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विक्रय हेतु आवेदित भूमि उन्हें शासन से 10-12 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। खसरों में भूमि पर विक्रय से प्रतिबंधित लिखा होने के कारण वे शासकीय योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि आवेदक क्र. 1 गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इलाज हेतु लिए कर्ज को चुकाने को मजबूर होने के कारण आवेदित भूमि विक्रय करना पड़ रहा है, परंतु भूमि पर विक्रय से प्रतिबंधित लिखा होने के कारण भूमि बिक नहीं पा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा विक्रय से प्रतिबंधित शब्द राजस्व अभिलेखों में विलोपित किए जाने का अनुरोध किया गया।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को आलोच्य भूमि शासन द्वारा प्रदान की गई है। यदि आवेदक द्वारा उक्त भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो वह फिर भूमि की मांग करेगा, जो उचित नहीं है। यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन निरस्त करने के जो कारण दिए है, वह उचित हैं। अत: निगरानी निरस्त की जाए।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि के विक्रय का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की है जिसे केवल आवेदक द्वारा विक्रय की

प्रार्थना की गई है अन्य सहखातेदारों द्वारा सहमति नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक जिला पंचायत सदस्य भी है इस कारण वह प्रश्नाधीन भूमि पर शासन द्वारा निर्धारित ऋण योजनाओं का लाभ ले सकता है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि से विक्रय से प्रतिबंधित शब्द हटाये जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर